कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता भरतपुर

डॉ गिरधारी लाल अग्रवाल के पास, ए–11 जवाहर नगर, भरतपुर

क्रमांक :–म.अ. / 2023 / 1859 दिनांक :– 14/12/22

साथिन विज्ञप्ति (संशोधित)

जिले की निम्नलिखित पंचायत समिति के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा में मानदेय कार्मिक के रूप में साथिन के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यालय द्वारा महिला आवेदकों से दिनांक 12.01.2024 को सांय 5 बजे तक आवेदन आंमत्रित किये जाते हैं:–

क्र0सं0	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण की स्थिति
01	पहाड़ी	1. सोमका	अल्पसंख्यक
		2. लाडलाका	अल्पसंख्यक
		3. घोसिंगा	अल्पसंख्यक
02	कामां	4. धर्मशाला	अल्पसंख्यक
		5. जुरहेरी	अल्पसंख्यक
03	नगर	6. बेला	अल्पसंख्यक
04	भुसावर	7. वारोली	अनारक्षित
		8. अलीपुर	अनारक्षित
05	नदबई	9. गादौली	अनारक्षितल4
06	रूपवास	10. दौरदा	अनारक्षित

1 आवेदनकर्ता महिला सम्बन्धित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिये तथा उसके घर में शौचालय होने व नियमित उपयोग संबधी घोषणा पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।

2 साथिन हेतु न्यूनतम 8वीं (कामां–पहाड़ी) एवं अन्य के लिए न्यूनतम 10वीं उर्तीण होना तथा विवाहित होना अनिवार्य है।

3 कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / अति पिछड़ा वर्ग आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग के लिये 21 से 40 वर्ष तथा विधवा / तलाकशुदा / परित्यकता के लिये 21 से 45 वर्ष होना अनिवार्य है।

4 आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता सम्बन्धित दस्तावेज, आर0एस0सी0आई0टी प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे।

5 आवेदन फार्म इस कार्यालय अथवा विभागीय बैवसाइट (www.wcd.rajasthan.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

6 आवेदक अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में इस कार्यालय में दिनांक 12.01.2024 सांय 5 बजे तक व्यक्तिशः / डाक के माध्यम से जमा करा सकते है। एक बार आवेदन प्रस्तुत / जमा करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी।

7 अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा–निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार ही मान्य होगें।

8 इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(राजेश कुमार)
उप निदेशक
महिला अधिकारिता, भरतपुर

क्रमांक :–म.अ. / 2023 / 1860-75 दिनांक :– 14/12/22

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 अतिरिक्त निदेशक महोदय, महिला अधिकारिता राज0 जयपुर।
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद् भरतपुर ।
3 विकास अधिकारी पंचायत समिति कामां–पहाड़ी, नगर, भुसावर, नदबई, रूपवास ।
4 बाल विकास परियोजना अधिकारी कामां–पहाड़ी, नगर, भुसावर, नदबई, रूपवास साथिन चयन परिपत्र दिनांक 14.10.2022 के तहत दिनांक 26.01.2024 को आयोजित ग्राम सभा में नियमानुसार चयन की कार्यवाही कराने का श्रम करे।
5 सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत..............................
6 प्रोगामर महिला अधिकारिता राज0 जयपुर को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड हेतु ।
7 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / कलैक्ट्रेट / जिला परिषद भरतपुर।
8 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक

महिला अधिकारिता भरतपुर